फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तहसीलदार भीण्डर बनाम विपक्षी श्री भीण्डर बिल्ड होम जरिये सुन्दरदास जैन व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 72/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 3 की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अत विपक्षी संख्या 3 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जमाबंदी संवत् 2050–53 अनुसार खाता संख्या 53, 25 आराजी सं. 174 श.न. 175, 176 श.न. 180, रकबा 1–15, 0–06, 1–10 बिघा किस्म चा.प्र. आ.चा. बीड प्र. खाडी द्वि. खातेदार भीण्डर बिल्ड होम जरिये पार्टनर सुन्दरलाल पिता भंवरलाल जैन, नीरज कुमार पिता सुन्दरलाल जैन, महावीर कुमार बया पिता भंवरलाल जैन निवासी भीण्डर के नाम दर्ज रेकर्ड है। आराजी सं. 174 श.न. 175, 176 श.न. 180, रकबा 1–15, 0–06, 1–10 बिघा में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य ग्रेवल सडक में उपयोग किया जा रहा है। यह कि खसरा संख्या पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि गतिविधि संचालित किये जाने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य ग्रेवल सड़क में उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि होकर आज भी उक्त भूमि में कृषि कार्य हो रहा है एवं मौके पर विपक्षी संख्या 1 व 2 काश्त शुदा फसल खडी है। उक्त भूमि में महावीर कुमार ने अपना हक हिस्सा फेमेली सेटलमेंट से विपक्षी संख्या 1 व 2 को सिपूर्द कर दिया है और उसका इस भूमि के किसी भी अंश पर कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं है। मौके पर उक्त भूमि के दो हिस्से कर रखे है और विपक्षी संख्या 1 व 2 दोनो इस भूमि पर हिस्सा बराबर से काबिज हो कृषि कार्य कर रहे है एवं मौके पर ज्वार एवं मक्का की फसल खडी है। यह कि किसी भी खातेदार द्वारा कृषि जोत की भूमि पर कृषि कार्य करने का पूर्ण अधिकार है और उसके कृषि जोत से वंचित नहीं किया जा सकता है। मौके पर आने जाने का रास्ता कच्चा हो सड़क के रूप में उपयोग नहीं लिया जा रहा है और जो रास्ता मौके पर हिस्से कब्जे में जाने के लिए है वो निजी रास्ता होकर एक खातेदार को अपने हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि में आने जाने के लिए कच्चा रास्ता बना रखा है। इस कच्चे रास्ते को गैर कृषि कार्य ग्रेवल सड़क के रूप में नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी यह रास्ता विपक्षी संख्या 1 व 2 के आने जाने के लिए ही है अन्य किसी के लिए नहीं है उक्त आराजी के मौके पर ग्रेवल सड़क नहीं है। नकल खसरा गिरधावरी इसको प्रमाणित करता है कि इस भूमि में कृषि कार्य हो रहा है। साथ ही विशेष कथन पेश कर बताया कि किसी सम्पति को जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबधित है उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है। ऐसा कोई भी प्रतित विपक्षी संख्या 1 व 2 की तरफ से कारित नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 1 व 2

सहायक कलक्टर
भीण्डर

खातेदार द्वारा केवल आवागमन के लिए कच्चा रास्ता बनाया गया है और उसका व्यावसायिक या निर्माण कार्य जैसे स्थायी स्वरूप में नहीं है तो उसे गैर कृषि उपयोग में माना नहीं जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 व 2 की भूमि पर बना रास्ता खेती उपयोग में होने वाली भूमि तक पहुंचने के लिए है और इसका उपयोग कृषि कार्य सहायक गतिविधियां जैसे ट्रेक्टर, बैलगाडी, मजदुरो के आने जाने के लिए है। मौके रास्ता कच्चा है जो न तो सिमेन्टेड है न ही कंक्रीट का है और उसका व्यवसायिक निवासी प्रयोग नहीं हो रहा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि कार्य ग्रेवल सड़क में उपयोग में किया जाना बताया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया है तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौके पर ग्रेवल सड़क नहीं होना बताया है साथ ही किसी प्रकार की गैर कृषि गतिविधि संचालित होना नहीं बताया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि कृषि भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह माना जाये कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर गैर कृषि कार्य संचालित हो रहा हो जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनो विन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीण्डर